कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल

दूरभाष–2550488,2550446,2553305,2551282 फैक्स –0755–2555162

E- mail ID: chiefelectoralofficermp@gmail.com,website:ceomadhyapradesh.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 12.11.2018

विषयः– पेड न्यूज पर प्रेस कौन्सिल ऑफ इण्डिया की गाइड लाइन।

प्रेस कौन्सिल ऑफ इण्डिया ने पेड न्यूज को निम्नानुसार परिभाषित किया है:–

"किसी मीडिया (प्रिंट इलेक्ट्रानिक) में प्रतिफल के रूप में नगद राशि, वस्तु देकर कोई समाचार या विश्लेषण प्राकाशित करने के रूप में परिभाषित किया है"।

पेड न्यूज के कारण निर्वाचक सही उम्मीदवार नहीं चुन पाता है साथ ही पेड न्यूज पर हुये व्यय को उम्मीदवार अपने व्यय में भी नहीं जोड़ता है। यह कृत्य जनप्रतिनिधि 1951 तथा चुनाव के आचार नियमावली 1961 का उल्लंघन हैं तथा जो मीडिया समूह पेड न्यूज के बदले धन राशि पाता है उसको भी छुपाता है, जो कम्पनी अधिनियम 1956 और आयकर अधिनियम 1961 के नियम का उल्लंघन करता है, परिषद द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मीडिया कम्पनी प्रबंधकीय वर्ग और सम्पादकीय स्टाफ में भेद होना चाहिए।

प्रेस का कर्तव्य है कि किसी भी उम्मीदवार/पार्टी/घटना के बारे में बड़ा चढ़ाकर रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए और न ही ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसमें धर्म,जाति, वंश और समुदाय दुश्मनी का बढ़ावा मिले किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के बारे में कोई भी झूठी वक्तव्य प्रकाशित नहीं करना चाहिए किसी उम्मीदवार/पार्टी का आथित्य स्वीकार नहीं करना चाहिए।

प्रेस को समय–समय पर रिटर्निंग ऑफिसर/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी किये गये सभी निर्देशों/आदेशों/अनुदेशों का पालन करना चाहिए कोई भी समाचार पत्र एजिग्ट पोल के सर्वेक्षण को तब तक प्रकाशित नहीं करेगा जब तक अंतिम मतदान नहीं हो जायेगा।

भारत निर्वाचन आयोग को चाहिए कि पेड न्यूज की मानिटरिंग करने के लिए प्रकोष्ठ का गठन करें जो पेड न्यूज के समाचारों की शिकायत का त्वरित निराकरण हो सके। प्रेस कौन्सिल ऑफ इण्डिया की सिफारिश अनुसार जिला एवं राज्य स्तर पर एम.सी.एम.सी. कमेटी का गठन किया गया है।

प्रेस विज्ञप्ति

विधानसभा निर्वाचन 2018 अंतर्गत प्राप्त हो रही शिकायतों के निराकरण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है । राज्य स्तर पर संचालित कॉल सेंटर का टोल फ्री नम्बर 1950 है जो 24x7 घण्टे काम करता है । वर्तमान में कॉल सेंटर के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतें नेशनल ग्रेवियेंस सर्विसेज पोर्टल पर दर्ज की जा रही हैं । प्रत्येक जिले में जिला कॉन्टेक्ट सेंटर कार्यरत है जो एनजीएस पोर्टल पर प्राप्त हो रही शिकायतों की प्रतिदिन मॉनीटरिंग कर रहा है । इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हो रही शिकायतों को भी डिजिटाइज कर समय सीमा में निराकरण किया जा रहा है।

राजनैतिक दलों द्वारा की जा रही शिकायतों के संधारण हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 की वेवसाइट पर पृथक से माड्यूल तैयार किया गया है जिसके माध्यम से राजनैतिक दलों द्वारा की गयी शिकायतों के निराकरण की स्थिति उनके द्वारा वेवसाइट पर देखी जा सकती है ।

GREIVANCE REDRESSAL- STATUS

Complaints From	Duration	Received	Disposed	Pending	% of Disposal
NGS(Contact Centres)	01.01.2018 to 05.10.2018	1117	1085	32	97.14
	06.10.2018 to 12.11.2018	3398	2855	543	84.02
NGS (By Citizens)	01.01.2018 to 05.10.2018	957	954	3	99.69
	06.10.2018 to 12.11.2018	159	147	12	92.45
By Letter/Faxes	01.01.2018 to 05.10.2018	1645	1485	160	90.27
	06.10.2018 to 12.11.2018	798	589	209	73.80
Total		8074	7115	959	88.12